प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 1481/2000

कुमारी थनवरिन कैवर्त और अन्य

–बनाम–

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

आदेश हेतु सूचीबद्ध किया जाए : 2 जनवरी, 2006

सही/–
सतीश कु. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 1481/2000

याचिकाकर्तागण:

1. कुमारी थनवरिन कैवर्त, आयु लगभग 48 वर्ष, पिता श्री सवाल कैवर्त, व्यवसाय – अधीक्षक बालिका आश्रम सैनेल, जिला– बस्तर (छ.ग.)।
2. आर.वी. राव, आयु लगभग 57 वर्ष, पिता श्री आर. राममन्या, व्यवसाय – लेखाकार माता रुक्मणी सेवा संस्थान, डिमरापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)।
3. श्रीमती कमलेश, आयु लगभग 45 वर्ष, पिता लक्ष्मण सिंह, व्यवसाय – शिक्षक कन्या आश्रम, मुतानपाल, जिला बस्तर (छ.ग.)।
4. बसंत कुमार सराफ, आयु लगभग 48 वर्ष, पिता भुवनलाल सराफ, व्यवसाय – शिक्षक कन्या आश्रम ओरछा, जिला बस्तर (छ.ग.)।
5. श्रीमती राजेश्वरी बैफरा, आयु लगभग 48 वर्ष, पति श्री सोमानी बाबू, व्यवसाय – सहायक शिक्षक, कन्या आश्रम छत्तीसगढ़, जिला बस्तर (छ.ग.)।
6. श्रीमती धनलक्ष्मी कुरुप, पति श्री टी.वी. मोहन, व्यवसाय – सहायक शिक्षक कन्या आश्रम बस्तर, जिला बस्तर (छ.ग.)।
7. ओम प्रकाश ओगले, पिता श्री मल्हार राव, आयु लगभग 41 वर्ष, व्यवसाय – सहायक शिक्षक, कन्या आश्रम धुरुली दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. राजेंद्र प्रसाद साह, आयु लगभग 37 वर्ष, पिता श्री दशरथ प्रसाद साह, व्यवसाय – बालक आश्रम धुरुली, दंतेवाड़ा, जिला बस्तर (छ.ग.) में शिक्षक।
9. श्रीमती सरस्वती साओ, आयु लगभग 48 वर्ष, पति श्री डी.के. साओ, व्यवसाय – अधीक्षक कन्या आश्रम ओरछा, जिला बस्तर (छ.ग.)।
10. कुमारी सावित्री पांडे, आयु लगभग 45 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री बी.जे. पांडे, व्यवसाय – शिक्षिका महात्मा गांधी कन्या आश्रम छत्तीसगढ़, जिला बस्तर (छ.ग.)।
11. श्रीमती कमल जैन, आयु लगभग 49 वर्ष, पति श्री रमेश जैन, व्यवसाय – शिक्षक कन्या आश्रम, चेरुरगांव, जिला बस्तर (छ.ग.)।
12. अनिल बसंत राव ढोटे, आयु लगभग 43 वर्ष, पिता श्री बसंत राव, व्यवसाय – शिक्षक कन्या आश्रम धनोरा, जिला बस्तर (छ.ग.)।
13. श्रीमती सतवंती भामरा, आयु लगभग 50 वर्ष, पति श्री गुरुदेव भरमा, व्यवसाय – बालवाड़ी शिक्षिका कन्या आश्रम चारमा, जिला बस्तर (छ.ग.)।
14. कुमारी मालती यादव, आयु लगभग 47 वर्ष, पिता श्री आर.सी. यादव, व्यवसाय – अधीक्षक कन्या आश्रम मुतनपाल, जिला बस्तर (छ.ग.)।
15. शिव चंद्र साह, आयु लगभग 36 वर्ष, पिता श्री घासाई साह, व्यवसाय – संचालक कन्या आश्रम धिमरापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. श्रीमती कस्तूरी सोनी, आयु लगभग 48 वर्ष, पति श्री बसंत सराफ, व्यवसाय – सहायक शिक्षक कन्या आश्रम ओरछा, जिला बस्तर (छ.ग.)।
17. कुमारी लक्ष्मी उद्दे, आयु लगभग 30 वर्ष, पिता श्री जोगीराम उद्दे, व्यवसाय – शिक्षक, कन्या आश्रम धनोरा, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)।
18. कौशल किशोर पाठक, आयु लगभग 44 वर्ष, पिता श्री आर.एस. पाठक, व्यवसाय – शिक्षक मिडिल स्कूल डिमरापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)।
19. श्री चिंगदुरम बघेल, आयु लगभग 29 वर्ष, पिता श्री लक्ष्मण राम, व्यवसाय – अवर श्रेणी शिक्षक, बालक आश्रम, बस्तार, जिला बस्तर (छ.ग.)।
20. श्रीमती पी. ज्योति लक्ष्मी नायडू, आयु लगभग 30 वर्ष, पिता श्री आर.वी. राव, व्यवसाय – अवर श्रेणी शिक्षक कन्या आश्रम टोंगपाल, जिला बस्तर (छ.ग.)।
21. श्रीमती कमला यादव, आयु लगभग 49 वर्ष, पति श्री मदन यादव, व्यवसाय – रसोइया, कन्या आश्रम चारमा, जिला बस्तर (छ.ग.)।
22. श्रीमती केशावती पात्रा, आयु लगभग 54 वर्ष, पिता श्री दयाराम, व्यवसाय – दाई माता रुकोई कन्या आश्रम डिमरापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)।
23. श्रीमती मैत्री बेको कश्यप, आयु लगभग 27 वर्ष, पति श्री बेको कोसा, व्यवसाय – दाई, कोया आश्रम बारसूर, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. कुमारी राजमती दांडे, आयु लगभग 28 वर्ष, पिता श्री लक्ष्मण बाडे, व्यवसाय – रसोइया कोया आश्रम बारसूर, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)।
25. श्रीमती मीना यादव, आयु लगभग 25 वर्ष, पिता श्री राजदेव यादव, व्यवसाय – सहायक शिक्षक, कन्या आश्रम भुसारास, जिला बस्तर (छ.ग.)।
26. श्री भद्रराम कश्यप, आयु लगभग 22 वर्ष, पिता श्री सुखदेव कश्यप, व्यवसाय – अवर श्रेणी शिक्षक, कन्या आश्रम कुतोरू, जिला बस्तर (छ.ग.)।
27. श्रीमती सूर्यकांत यादव, आयु लगभग 29 वर्ष, पिता श्री के. सम्मैय्या, व्यवसाय – अवर श्रेणी शिक्षक, कन्या आश्रम भुसावस, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)।
28. श्रीमती गंगा नाग, आयु लगभग 27 वर्ष, पिता श्री सोमसाई नाग, व्यवसाय – सहायक शिक्षक, कन्या आश्रम मुतापल, जिला बस्तर (छ.ग.)।
29. कुमारी द्रोपदी दुर्गाइया, आयु लगभग 28 वर्ष, पिता नागाय्या दुर्गाम, व्यवसाय – सहायक शिक्षक कन्या आश्रम भुसावस, जिला बस्तर (छ.ग.)।
30. श्रीमती फाल्गुनी नाग, आयु लगभग 27 वर्ष, पिता श्री विश्वंतिही नाग, व्यवसाय – सहायक शिक्षक कन्या आश्रम बाडेकिलेपाल, जिला बस्तर (छ.ग.)।
31. श्रीमती लखन देई कश्यप, आयु लगभग 28 वर्ष, पिता श्री थिबम कश्यप, व्यवसाय – सहायक शिक्षक कन्या आश्रम जांगला, जिला बस्तर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. श्रीमती शशिबाला जुमार, आयु लगभग 28 वर्ष, पिता श्री सम्मीनैय्या जुमार, व्यवसाय – सहायक शिक्षिका, कन्या आश्रम धनोरा, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)।

33. कावल साई नाग, आयु लगभग 29 वर्ष, पिता श्री फागुराम नाग, व्यवसाय – सहायक शिक्षक, कन्या आश्रम कुतरू, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)।

बनाम

उत्तरवादीगण:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, डी.के. भवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. कलेक्टर आदिवासी विभाग, जिला बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)।
3. माता रुक्मणी सेवा संस्थान, डिमरापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)।
4. सचिव, माता रुक्मणी सेवा संस्थान, डिमरापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)।

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश कु. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

श्री के.के. त्रिवेदी, अधिवक्ता के साथ श्री विष्णु कोष्ठा, याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

श्री पंकज श्रीवास्तव, उत्तरवादी क्र. 1 और 2 के लिए पैनल वकील।

श्री यशवंत तिवारी, उत्तरवादी क्र. 3 और 4 के लिए अधिवक्ता।

आदेश
(2 जनवरी, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश न्यायमूर्ति सतीश कु. अग्निहोत्री द्वारा पारित:

1. **याचिकाकर्ताओं द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद** 226 **के तहत दायर यह वर्तमान याचिका दिनांक** 27.01.2000 (**अनुलग्नक पी**/8 **से पी**/40) **के आदेशों की वैधता को चुनौती देती है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवाएं** 29.02.2000 **से समाप्त कर दी गई हैं, जिसका आधार नियुक्ति में अनियमितता है क्योंकि वे अधिक आयु के/कम आयु के/आवश्यक योग्यता की कमी वाले थे।**

2. याचिकाकर्ताओं को विभिन्न तिथियों पर विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था, जैसा कि निम्नलिखित है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रम संख्या	याचिकाकर्ता का नाम	पद	नियुक्ति की तिथि
1.	कु. थनवरिन कैवर्त	आश्रम अधीक्षक	31.01.1983
2.	श्री आर.बी. राव	लेखाकार	18.02.1984
3.	श्रीमती कमलेश	शिक्षिका	01.03.1988
4.	श्री बसंत कुमार सराफ	शिक्षक	01.07.1989
5.	श्रीमती राजेश्वरी बैफरन	सहायक शिक्षिका	25.02.1983
6.	श्रीमती धनलक्ष्मी कुरुप	सहायक शिक्षिका	14.07.1993
7.	श्री ओम प्रकाश ओगले	सहायक शिक्षक	01.12.1990
8.	श्री राजेंद्र प्रसाद साह	शिक्षक	01.03.1994
9.	श्रीमती सरस्वती साओ	आश्रम अधीक्षक	24.03.1983
10.	कु. सावित्री पांडे	शिक्षिका	01.01.1987
11.	श्रीमती कमल जैन	शिक्षिका	05.01.1983
12.	श्री अनिल बसंत राव ढोटे	शिक्षक	01.08.1989
13.	श्रीमती सतवंती भामरा	शिक्षक	16.12.1988
14.	कु. मालती यादव	आश्रम अधीक्षक	01.07.1987
15.	श्री शिव चंद्र साह	संचालक, कन्या आश्रम	01.04.1995
16.	श्रीमती कस्तूरी सोनी (सराफ)	सहायक शिक्षिका	07.05.1983

17.	कु. लक्ष्मी उद्दे	शिक्षिका	15.09.1992
18.	श्री कौशल किशोर पाठक	शिक्षक	15.04.1988
19.	श्री चिंगडू राम बघेल	अवर श्रेणी शिक्षक	18.07.1988
20.	श्रीमती ज्योति लक्ष्मी नायडू	अवर श्रेणी शिक्षक	26.10.1987
21.	श्रीमती कमला यादव	रसोइया	01.07.1980
22.	श्रीमती केशरवती पात्रा	आरोग्य सेविका	01.03.1977
23.	श्रीमती मैत्रिया बेको कश्यप	आरोग्य सेविका	01.05.1987
24.	श्रीमती राजमती बाडे	रसोइया	30.6.1987
25.	श्रीमती मीना यादव	सहायक शिक्षिका	01.07.1992
26.	श्री भद्रू राम कश्यप	अवर श्रेणी शिक्षक	01.07.1989
27.	श्री सूर्यकांत यादव	अवर श्रेणी शिक्षक	30.09.1989
28.	श्रीमती गंगा नाग	सहायक शिक्षिका	30.06.1991
29.	कु. द्रोपदी दुर्गम	सहायक शिक्षिका	30.09.1989
30.	श्रीमती फाल्गुनी नाग	सहायक शिक्षिका	01.07.1988
31.	श्रीमती लखन देई	सहायक शिक्षिका	01.07.1989
32.	श्रीमती शशि बाला	सहायक शिक्षिका	01.08.1990
33.	श्री कावल साई नाग	सहायक शिक्षक	01.07.1988

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. **याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विभाग में नियुक्त किया गया था। उत्तरवादी क्र.** 3 **ने कलेक्टर बस्तर द्वारा पारित दिनांक** 22.01.1988 (**अनुलग्नक पी**/1) **के आदेश द्वारा** 30 **आश्रमों/विद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जहाँ कुछ याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया गया था और उनमें से कुछ पहले से ही कार्यरत थे, जैसा कि ऊपर कहा गया है।** आदेश में यह प्रावधान था कि उक्त आश्रमों/विद्यालयों में स्वीकृत पद वही रहेंगे और उक्त आश्रमों/विद्यालयों को उत्तरवादी क्र. 3 के माध्यम से 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कर्मचारियों की नियम और शर्तें राज्य सरकार की नीति द्वारा शासित होंगी।

4. **कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर ने दिनांक** 29.11.1990 (**अनुलग्नक पी**/2) **के पत्र द्वारा सचिव/उत्तरवादी क्र.** 4 **को सूचित किया कि शिक्षकों और अन्य गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के**

लिए चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी एक आवश्यक पक्ष होंगे। नियुक्तियाँ कलेक्टर की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही की जानी चाहिए। उत्तरवादी क्र. 4 को आगे निर्देश दिया गया था कि वे आश्रमों/विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों की सूची संभागीय उप आयुक्त, आदिवासी कल्याण विभाग, जगदलपुर को प्रदान करें। याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियों को विधिवत मंजूरी दे दी गई थी और याचिकाकर्ता तब तक काम करते रहे जब तक कि 27.01.2000 को एक रूढ़िबद्ध सूचना नहीं दिया गया, जिसमें 29.02.2000 से याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

5. जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जहाँ याचिका शुरू में दायर की गई थी, ने सूचना जारी करते समय दिनांक 28.02.2000 को याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया था। उक्त आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता अपनी सेवाओं में बने हुए हैं।

6. याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के.के. त्रिवेदी के साथ श्री विष्णु कोष्ठा ने प्रस्तुत किया कि जिन संस्थानों में याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया गया था और वे शिक्षक और गैर–शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, वे सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित थे। नियुक्तियाँ पदों के लिए याचिकाकर्ताओं की आयु और योग्यता का सत्यापन करने के बाद की गई थीं। याचिकाकर्ताओं की सेवाएं एक महीने के सूचना के साथ बिना उचित जाँच के समाप्त कर दी गई हैं, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ताओं के मामलों में कुछ अनियमितता, जैसे अधिक आयु, कम आयु या शैक्षिक योग्यता की कमी पाई गई थी। उत्तरवादीयों ने दिनांक 27.01.2000 के एक ही प्रकार के सूचना द्वारा सभी याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को बिना किसी जाँच के समाप्त कर दिया है कि नियुक्ति के समय कोई अनियमितता हुई थी या नहीं। याचिकाकर्ताओं को दिनांक 27.01.2000 के आक्षेपित सूचना जारी होने से 10 साल से भी पहले नियुक्त किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने बसुदेव तिवारी बनाम सिडो कान्हू विश्वविद्यालय और अन्य[1], अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड बनाम शम्मी भान और अन्य[2], और जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एस.के. मालवीय और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य[3] के निर्णयों का अवलंब लिया है।

[1] ए.आई.आर 1998 एस.सी 3261
[2] ए.आई.आर 1986 एस.सी 1681
[3] 2002(1) एम.पी.एल.जे. 575

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. अगला तर्क यह दिया गया कि मध्य प्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती) नियम, 1979 (जिसे आगे 'नियम, 1979' कहा जाएगा) गैर–सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए न्यूनतम आयु और योग्यताएँ निर्धारित करता है। सभी कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है और कोई अधिकतम आयु निर्धारित नहीं की गई है।

8. उत्तरवादी क्र. 3 और 4 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यशवंत तिवारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई जाँच नहीं की गई थी कि याचिकाकर्ता जो आश्रमों/विद्यालयों में शिक्षक और अन्य कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, वे या तो कम आयु के थे या अधिक आयु के थे या उनकी नियुक्तियों के समय पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता की कमी थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्र. 1 और 2 ने उत्तरवादी क्र. 3 और 4 को कदम उठाने के निर्देश देने से पहले कुछ जांच की होगी, लेकिन उत्तरवादी क्र. 3 और 4 ने इस मामले में कोई जांच नहीं की है और उत्तरवादी क्र. 3 और 4 के प्रबंधन द्वारा बिना कोई विचार किए उत्तरवादी क्र. 1 और 2 के आदेश पर आक्षेपित सूचना/आदेश पारित किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उत्तरवादी क्र. 1 और 2 के लिए उपस्थित विद्वान पैनल वकील श्री पंकज श्रीवास्तव ने तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने इस मामले में कोई जवाब दायर नहीं किया है।

10. इस याचिका में, दिनांक 28.2.2000 को सूचना जारी किए गए थे और उसके बाद उत्तरवादी क्र. 1 और 2 को कई अवसर दिए गए, विभिन्न स्थगनों के बावजूद, उत्तरवादी क्र. 1 और 2 द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। संबंधित नियमों के अवलोकन पर उत्तरवादी क्र. 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि नियम 1979 में कोई अधिकतम आयु सीमा प्रदान नहीं की गई है। यह तर्क दिया गया कि उत्तरवादी क्र. 3 और 4 को नियुक्ति के समय याचिकाकर्ताओं की आयु और योग्यता के संबंध में अनियमितताओं के मामलों की जाँच करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उत्तरवादी क्र. 3 और 4 ने बिना कोई जाँच किए ही दिनांक 27.01.2000 को आक्षेपित सूचना/आदेश जारी कर दिया।

11. सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि दिनांक 27.01.2000 को **आक्षेपित सूचना**/आदेश जारी करने से पहले इस बात की कोई जाँच नहीं की गई थी कि याचिकाकर्ता कम आयु के थे, अधिक आयु के थे या उनमें शैक्षिक योग्यता का अभाव था। यहाँ तक कि याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए सूचना भी रूढ़िबद्ध हैं,जिनमें उपरोक्त तीनों

अनियमितताओं का उल्लेख सूचना में किया गया था और संबंधित प्रविष्टियों पर सही का निशान लगाया गया था। यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि यह मानने के लिए कि नियुक्तियां विधि के प्रावधानों के विपरीत थीं या अभ्यर्थियों के चयन में अनियमितताएं की गई थीं, ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच आवश्यक है, विशेष रूप से वर्तमान मामले में जहां चयन प्रक्रिया में अनियमितता/अवैधता का कोई आरोप नहीं है, जिसे बाद में पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है। बसुदेव तिवारी के मामले (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा था:

> *"12.* उक्त प्रावधान यह प्रदान करता है कि किसी नियुक्ति को बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि वह अधिनियम, संविधियों, नियमों या विनियमों के प्रावधानों के विपरीत या किसी अनियमित या अनधिकृत तरीके से की गई हो. इस शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व शर्त यह है कि कोई नियुक्ति अधिनियम, नियमों, संविधियों और विनियमों के विपरीत या अन्यथा की गई हो। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि कोई नियुक्ति अधिनियम, संविधियों, नियमों या विनियमों आदि के प्रावधानों के विपरीत है, एक निष्कर्ष दर्ज किया जाना चाहिए और जब तक ऐसा निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है, तब तक समाप्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए **आवश्यक रूप से यह जाँच करनी होगी कि क्या ऐसी नियुक्ति अधिनियम आदि के प्रावधानों के विपरीत थी**। यदि किसी दिए गए मामले में ऐसा अभ्यास अनुपस्थित है, तो पूर्व शर्त अधूरी रहती है। ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए **आवश्यक रूप से जाँच सूचना देना होगा और ऐसी जाँच करने में जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाँच की जा रही है, उसे सूचना जारी करना होगा**। यदि उसे सूचना नहीं दिया जाता है तो यह राजकुमार ऑफ डेनमार्क के बिना हेमलेट का मंचन करने के बराबर है, अर्थात, यदि संबंधित कर्मचारी जिसके अधिकार प्रभावित होते हैं, को ऐसी कार्यवाही का सूचना नहीं दिया जाता है और उसकी अनुपस्थिति में कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, तो ऐसा निष्कर्ष न्यायपूर्ण, निष्पक्ष या उचित नहीं होगा जैसा कि इस न्यायालय ने डी.टी.सी. मजदूर सभा के मामले में *(ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 101)* नोट किया है। ऐसे मामले में, हमें यह मानना होगा कि प्रावधान में **एक अंतर्निहित सुनवाई की आवश्यकता है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि नियुक्ति अधिनियम, संहिता, नियम या विनियमन आदि के विपरीत की गई थी और केवल ऐसे निष्कर्ष**

पर पहुँचने के बाद ही व्यक्ति की सेवाओं को बिना किसी और सूचना के समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार धारा *35(3)* को इस मामले में पढ़ा जाना चाहिए।"

12. अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड के मामले (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि **"यह अब सुस्थापित है कि एक स्थायी कर्मचारी की सेवाएं, चाहे वह सरकार, या सरकारी कंपनी या सरकारी उपकरण या सांविधिक निगम या अनुच्छेद *12* के अर्थ में किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नियोजित हो, को अचानक और मनमाने ढंग से समाप्त नहीं किया जा सकता है, चाहे उसे एक महीने या तीन महीने का सूचना या उसके बदले वेतन दिया जाए या बिना सूचना के भी, भले ही सेवा अनुबंध या प्रमाणित स्थायी आदेशों में ऐसा प्रावधान हो।**"

13. एस.के. मालवीय के मामले (पूर्वोक्त) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एम.पी. अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को पदच्युत करने/सेवा से हटाने संबंधी प्रक्रिया) नियम, 1983 के प्रावधानों पर विचार करते हुए निम्नानुसार कहा है:

"*6.* उक्त अधिनियम, नियमों एम.पी. अशासकीय शिक्षण संस्था *(*अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को पदच्युत करने सेवा से हटाने संबंधी प्रक्रिया*)* नियम, *1983* के तहत बनाए गए हैं। उक्त नियम के नियम *12(3)* में निम्नानुसार पढ़ा जाता है*:*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"*12(3) (*ए*)* प्रबंधन, यदि कोई हो, शिक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्धारित करेगा कि शिक्षक या अन्य कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए और उस आदेश का प्रस्ताव करेगा जिसे वह पारित करना चाहता है।

*(*बी*)* प्रबंधन तत्पश्चात पूरे मामले को अपने प्रस्तावित आदेश के साथ सक्षम प्राधिकारी को उसकी मंजूरी के लिए अग्रेषित करेगा और सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर ऐसी मंजूरी देने से इनकार नहीं करेगा*:*

(i) कि जाँच के दौरान, इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का उचित या पर्याप्त अनुपालन नहीं हुआ है।

(ii) कि उक्त आदेश द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को विफल किए जाने की संभावना है*;* और,

(iii) कि उक्त आदेश, उसके मुख पर, विकृत है।

7. उक्त नियमों के नियम *12(3)(*बी*)* को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है यदि किसी कर्मचारी को हटाया जाना है। नियम के तहत प्रदान की गई सुरक्षा सभी अनुमोदित शिक्षकों को हटाने पर समान रूप से लागू होनी चाहिए, चाहे उन्हें जाँच के बाद हटाया जाए या बिना जाँच के।

इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने भारती विद्या मंदिर बनाम श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, *[1993 (II) एमपीडब्ल्यूएन 37]* में माना है कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना सेवाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है।"

14. उत्तरवादीयों के विद्वान अधिवक्ताओं ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि याचिकाकर्ताओं में से किसी के भी मामले में आयु या पात्रता शर्त के संबंध में कोई अनियमितता होने का निष्कर्ष निकालने के लिए कोई जाँच नहीं की गई थी।

15. उपरोक्त कारणों से याचिका स्वीकार की जाती है और **दिनांक** 27.01.2000 **के आक्षेपित आदेश** (**अनुलग्नक पी**/8 **से पी**/40) **अभिखण्डित किए जाते हैं**।

मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/–
सतीश कु. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Tara Chandra Chouhan